अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 524(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 मार्च,1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 180 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने देव-सांगा सेवा प्रतिष्ठान, 28/2ए, एच0के0 सेट लेन, कलकत्ता-700050 द्वारा बोमपास टाऊन, देवघर, बिहार में देव-सांगा नेशनल स्कूल तथा छात्रावास भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बादं में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 323 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देव-सांगा सेवा प्रतिष्ठान, 28/2ए, एच0के0 सेट लेन, कलकत्ता-700050 द्वारा बोमपास टाऊन, देवघर, बिहार में चलाई जा रही

नेशनल स्कूल तथा छात्रावास भवन के निर्माण की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र तीन करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 115-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)